संख्या: 5/2018/43बीपी/35-1-2018

प्रेषक,

आर.एन.एस.यादव,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ:दिनांक: **28** मार्च, 2018

विषय: बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 में वेयर हाउसिंग एवं मार्केटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजना हेतु धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बुन्देलखण्ड पैकेज के अधीन वर्ष 2011-12 में शासनादेश संख्या: 720(1)/35-आ-1/2011 दिनांक 30 मई, 2011 सपठित शासनादेश: संख्या: 904/35-आ-1/2012 दिनांक 05 सितम्बर, 2012 के माध्यम से वेयर हाउसिंग एवं मार्केटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजना को रू. 691.50 करोड की लागत पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू. 320.00 करोड की धनराशि अवमुक्त की गई थी जिसके सापेक्ष विभाग द्वारा पूर्ण धनराशि का उपयोग किया गया और कोई धनराशि समर्पित नहीं की गई। वर्ष 2014-15 में शासनादेश संख्या: 9/2015/66बीपी/35-1-2015 दिनांक 30 मार्च,2015 द्वारा परियोजनाओं के अपूर्ण कार्यों हेतु द्वितीय किश्त के रूप में रू. 278.96 करोड की धनराशि अवमुक्त की गई और विभाग द्वारा पूर्ण धनराशि का उपयोग किया गया तथा कोई धनराशि समर्पित नहीं की गई। इस प्रकार अब तक परियोजनान्तर्गत रू. 598.96 करोड का उपयोग कर लिया गया है। परियोजना के अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने हेतु विभाग द्वारा पत्र दिनांक 07 फरवरी, 2018 के माध्यम से रू. 26.37 करोड की आवश्यकता इंगित की गई है। एतद्द्वारा परियोजना के अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने हेतु इंगित विभागीय आवश्यकता के अनुरूप रू. 26.37करोड (रूपये छब्बीस करोड सैंतीस लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. सन्दर्भित शासनादेशों की अन्य शर्तें यथावत् लागू रहेंगी।
2. कार्यों को मानकों के अनुरूप गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत में वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।
3. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2018 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4. अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष व्यय/ प्रगति सम्बन्धी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व कृषि विपणन विभाग का होगा। तदनुसार कार्यवार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की पूर्व निर्धारित प्रारूप पर सूचना प्रत्येक माह की 07 तारीख तक नियोजन विभाग को प्रेषित की जायेगी।

5. कोषागार से धनराशि आहरण के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 12/2017/बी-1-1455/दस-2017-231/2017 दिनांक 20 नवम्बर, 2017 की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- स्वीकृत धनराशि के समक्ष होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 के बजट में अनुदान संख्या-40 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम-02-पिछडे क्षेत्र-800-अन्य व्यय-04-बुन्देलखण्ड विशेष योजनाएं-76-वेयर हाउसिंग एवं मार्केटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनांक 03 अगस्त, 2017 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर.एन.एस.यादव)
विशेष सचिव।

संख्या– 5/2018/43बीपी (1)/35-1-2018 तद दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।
3- प्रमुख सचिव, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग।
4- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग।
5- निजी सचिव, मा. मुख्य मंत्री जी।
6- निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
7- मण्डलायुक्त, झांसी/चित्रकूट धाम।
8- जिलाधिकारी, झांसी / ललितपुर/ जालौन/ हमीरपुर/ बांदा/ महोबा/ चित्रकूट।
9- मुख्य विकास अधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/ हमीरपुर/ बांदा/ महोबा/ चित्रकूट।
10- मुख्य कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार, कलेक्ट्रेट लखनऊ ।
11- गार्ड फाइल ।
12- वित्त(व्यय नियंत्रण), अनुभाग-5
13- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, झांसी/ ललितपुर/ जालौन/ हमीरपुर/ बांदा/ महोबा/ चित्रकूट।

आज्ञा से

(आर.एन.एस.यादव)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in